# छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 2010 (फाल्गुन-19,1931)

समय 11:00 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जगदलपुर द्वारा रतनजोत पौधारोपण में अनियमितता किए जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, ताम्रध्वज साहू, भजन सिंह निरंकारी, सदस्य, वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगर-निगम, भिलाई द्वारा मकानों एवं दुकानों को तोड़े जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 3. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 9 - 9 सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

''सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-221 के उप नियम (3), 223 के उप नियम (2) तथा 223-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2010-2011 की अवधि के लिये अपने में से क्रमश: 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

### 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

''सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम- 234- ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2010-2011 की अवधि के लिये अपने में से 9 सदस्य, जिनमें से क्रमश: तीन- तीन सदस्य अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

क्रमश: .... 2

## 5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

## 6. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा

| निर्धारित समय | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (शेष चर्चा) | (1) | मांग संख्या | 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय |
| | | मांग संख्या | 80 | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता |
| | | मांग संख्या | 59 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं |
| | | मांग संख्या | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन |
| 3 घंटे | (2) | मांग संख्या | 15 | अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता |
| | | मांग संख्या | 33 | आदिम जाति कल्याण |
| | | मांग संख्या | 41 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना |
| | | मांग संख्या | 42 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल |
| | | मांग संख्या | 49 | अनुसूचित जाति कल्याण |
| | | मांग संख्या | 53 | अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता |
| | | मांग संख्या | 64 | अनुसूचित जाति उपयोजना |
| | | मांग संख्या | 66 | पिछड़ा वर्ग कल्याण |
| | | मांग संख्या | 68 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन |
| | | मांग संख्या | 82 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता |
| | | मांग संख्या | 83 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता |
| | | मांग संख्या | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी |

रायपुर
दिनांक 9 मार्च, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.